10-5-2016

पत्रावली पेश हुवी। राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र गुरुवार बासीबत्ता के पेश हुवी। उभयपक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी के संवत् 2028–2031 में शामिल आराजी रकबा कुल किता 13 कुल रकबा 51 बीघा 16 बिस्वा वाके मौजा शाहाबाद नगर मोती पुत्र मजा 1/2 व किशना पु० उमार का 1/2 जाति माली खातेदार दर्ज है। नकल जमाबन्दी संवत् 2066–2069 वाके मौजा शाहाबादनगर खाता संख्या 181 में वर्णित आराजी कुल किता 13 कुल रकबा 11.83 है। मोरपाल, किशना, धन्ना हजारी पि० मोती व बरसी बेवा व रामकुरी ~~पुत्री~~ कन्या, समोदरा पुत्रीया मोती माली हि 1/2 हि० व किशना पुत्र उमारसा कौम माली सा० देह खातेदार राहिन टोंक जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि० टोंक कुरकीत 40000) ख० नं० 131, 132, 133, 134, 135, 136 का हि 1/2 दर्ज है। इस खाते में किशना का नाम मोती की वल्दियत के साथ भी दर्ज है। राजस्व रिकार्ड

(5)

है। वे किसान मोती का पुत्र है वही

द्वारा प्रस्तुत वाद व इनके निष्कर्ष

शपथ पत्र के अनुसार उपरोक्त आराजी

किसान इनकी ही आराजी की पुष्टि हो

प्रतिवादी किसान का है नाम दर्ज हुआ

है। उक्त आराजी के खिलाफ ही

पुष्टि होती है उक्त वादीगण के

नाम दर्ज होनी चाहिए थी।

अतएव मेरा मन्तव्य है

भावना के मध्यनजर विवेचना (उपरोक्त)

व शपथ पत्र के आधार पर वादी

वादीगण डिक्री किया जाता है खसरा

रकबा न. 36, 70, 129, 131, 132, 133, 134,

135, 136, 150, 565, 566, 568 कुल

किता 13 कुल रकबा 11-83 है.

वाके ग्राम [illegible] तहसील

[illegible] में वादीगण 1 ता 3 का

1/8, 1/8, 1/8 हिस्से, प्रतिवादीगण 1 ता 6

को 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण 7 ता

10 को 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 हिस्से का

खातेदार काश्तकार घोषित किया

जाता है। तहसीलदार [illegible] को

इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में

अंकन करने के आदेश दिये जाते

है। खर्चा [illegible] रहेगा

पश्चात डिक्री जारी हो। पत्रावली

मुकम्मल होने पर [illegible]

तथा दफ्तर दाखिल हो।

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
## राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत बालीथल

1.मोरपाल पुत्र मोती जाति माली निवासी शहादतनगर तहसील उनियारा जिला टोंक
2.धन्ना पुत्र मोती जाति माली निवासी शहादतनगर तहसील उनियारा जिला टोंक
3.बक्शी बेवा मोती जाति माली निवासी शहादतनगर तहसील उनियारा जिला टोंक

उनवान

– वादीगण

बनाम

1.रामअवतार पुत्र किशना जाति माली निवासी शहादतनगर तहसील उनियारा जिला टोंक
2.बाबू पुत्र किशना जाति माली निवासी शहादतनगर तहसील उनियारा जिला टोंक
3.कालू पुत्र किशना जाति माली निवासी शहादतनगर तहसील उनियारा जिला टोंक
4.मस्तराम पुत्र किशना जाति माली निवासी शहादतनगर तहसील उनियारा जिला टोंक
5.मूर्ति पुत्री किशना जाति माली निवासी शहादतनगर तहसील उनियारा जिला टोंक
6.बसन्ती बेवा किशना जाति माली निवासी शहादतनगर तहसील उनियारा जिला टोंक
7.हजारी पुत्र मोती जाति माली निवासी शहादतनगर तहसील उनियारा जिला टोंक
8.रामकूरी पुत्री मोती जाति माली निवासी शहादतनगर तहसील उनियारा जिला टोंक
9.कन्या पुत्री मोती जाति माली निवासी शहादतनगर तहसील उनियारा जिला टोंक
10.समोदरा पुत्री मोती जाति माली निवासी शहादतनगर तहसील उनियारा जिला टोंक
11.शाखा प्रबन्धक भूमि विकास बैंक लि0 टोंक शाखा उनियारा
12.तहसीलदार उनियारा

–प्रतिवादीगण

**दावा बाबत उदघोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा**

मुकदमा नम्बर :– 22 वर्ष 2012

वादीगण की ओर से श्री मोरपाल वादी प्रतिवादगण की और से रामअवतारउनियारा की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 10.5.2016 को श्री सुभाषचन्द शर्मा, आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिकी दी जाती है कि आराजी ख0न0 36, 70, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 150, 565, 566, 568 कुल किता 13 कुल रकबा 11.83 है0 वाके ग्राम शहादतनगर तहसील उनियारा मे वादीगण 1 ता 3 को 1/8, 1/8, 1/8, हिस्से प्रतिवादीगण 1 ता 6 को 1/8 हिस्से तथा प्रतिवादीगण 7 ता 10 को 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 हिससे का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते है। रहन का इनद्राज पूर्ववत रहेगा। फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 5 सन् 2016 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner